गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए चिन्हित भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक

Updated Wed, 16 Dec 2020 01:02 AM IST

पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर
कहीं भी, कभी भी।
*Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP!
Read Now

रायबरेली। मेरठ से प्रयागराज तक 596 किलोमीटर तक प्रस्तावित योजना गंगा एक्सप्रेस-वे को जमीनी रूप देने के लिए काम तेज हो गया है। संबंधित भूमि के नंबरों को चिह्नित कर जांच के लिए संबंधित तहसीलों को सूची उपलब्ध कराई गई है।

जिले से होकर गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे के 22 गांवों में संबंधित भूमि के क्रय-विक्रय पर डीएम वैभव श्रीवास्तव ने रोक लगाई है। डीएम वैभव श्रीवास्तव ने जिले के संबंधित निबंधन कार्यालयों को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया है कि गंगा एक्सप्रेस-वे बनने के लिए चिह्नित की गई भूमि नंबरों का क्रय-विक्रय न की जाए।

डलमऊ निबंधन विभाग के अधिकारी नरेंद्र कुमार जैसल ने बताया कि कार्यालय में एक्सप्रेस-वे क्षेत्र में आने वाले भूमि नंबरों की सूची उपलब्ध न होने के कारण बैनामा रजिस्ट्री करने में समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे लाखों रुपये राजस्व की हानि हो रही है।